केवल अग्रिम अदायगी के एवज में अथवा रिवाल्विंग लेटर आफ क्रेडिट के एवज में की जाएगी ।

(2) भारत सरकार ने 31-5-1990 को कोयले की बिक्री की देय बकाया राशि के सभी अविवादित मामलों को राज्य सरकारों को देय केन्द्रीय सहायता की राशि के एवज में, जिन राज्य सरकारों के राज्य विद्युत बोर्ड तथा विद्युत उपयोगितायें दोषी पाई गई हैं, उनसे 4 बराबर की वार्षिक किश्तों में समायोजित करने का निर्णय लिया । अभी तक 3 किश्तें प्राप्त हुई हैं ।

(3) बकाया देय राशि के एकत्रित हो जाने के परिणामस्वरूप कोयला मंत्रालय ने को०इ०लि० को यह सलाह दी है कि वे राज्य विद्युत बोर्डों को केवल अग्रिम अदायगी के एवज में ही कोयले की आपूर्ति करें । यह योजना जोकि "कैश एण्ड कैरी योजना" के नाम से जानी जाती है, दिनांक 1-10-1991 से शुरू की गई है ।

(4) राज्य सरकारों, से राज्य विद्युत बोर्डों को देय बकाया राशि का शीघ्र निपटारा किए जाने के लिए बोर्डों को राजी करने/अदायगी के लिए तैयार करने के लिए, अनुरोध किया गया है ।

खनन कार्य में अनियमितताएं

3567. **श्री रामसिंह राठवा :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खनन-कार्य में हैवी एच० ई० एम० एस० की सेवाएं लिए जाने में अनियमितताएं बरते जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा एक स्वतंत्र निकाय के माध्यम से की गई जांच की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) हाल ही में सरकार को, अन्य बातों के अलावा, उपकरण को उपयोग में न लाने/कम उपयोग में लाने की कुछ विशेष घटनाओं के बारे में सूचना मिली है, जैसा कि लिंगराज, गिरीडीह तथा चित्रा खानों में उपकरण का कम उपयोग किया जाना ।

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा किसी स्वतंत्र निकाय के माध्यम कोई जांच नहीं कराई गई है ।

(घ) कोयला कम्पनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वास्तविक स्थिति के सत्यापन के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करें ।

कोयला खनन संबंधी उपकरणों की आपूर्ति में विलंब

3568. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खनन संबंधी उपकरणों की आपूर्ति में विलंब हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कब आदेश दिए गए थे ; और

(ग) कंपनियों द्वारा इसकी शीघ्र आपूर्ति किए जाने के संबंध में क्या कदम उठाए गए ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) निर्माताओं द्वारा कोयला कंपनियों को निम्न उपकरणों की देरी से आपूर्ति किए